11/2017 मोती सिंह V/s सिरामी देवी

11.3.19 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अब प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्र मुतफर्रिका सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा रिकार्ड हो।

जिला कलेक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner